फर्द अहकाम

5195 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : 96/11 मीराडेवी बनाम विमला देवी

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही
		वादी मुताबिक जवाब अनुसार संशोधन कर संशोधित उनवान पेश करें। तथा प्रतिवादी ने कास्ट दिलवाने की आपत्ति की। वादी कॉस्ट जमा करें। वास्ते संशोधित उनवान व बहस हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो। [signature]
	24/12/25	पत्रावली आज दिनांक 24/12/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसो. द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/1/26 को पेश हो। [signature]
	5/1/26	[illegible] को पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/1/26 को पेश हो। [signature]
1000/- Rs. Cost Received [signature] 7/1/26	07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। वादी ने संशोधित पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रति दिलवाई गई। उभय पक्ष की आपत्ति कुर्रेजात / कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27/01/2026 को पेश हो। [signature]
	27/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर वाद

सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर क्र. 1385

फर्द अहकाम

मीरादेवी बनाम विमलादेवी

ालय

ा 96/11 डाक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी, जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 96/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक : 13.06.2011

1. श्रीमति मीरादेवी पत्नि सुवालाल जाति जाट
2. श्रीमति सन्ती देवी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासीगण ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर

........वादीगण

बनाम

1. श्रीमति बिमला देवी पत्नि नानछीलाल उम्र करीब 48 साल
2. श्रीमति कमला देवी पत्नि रामजीलाल उम्र करीब 45 साल
3. नानूराम पुत्र गणेश मृतक दौराने दावा

3/1 सूजाराम की पत्नी सूजादेवी
3/2 फूलचंद, नानूराम का पुत्र
3/3. कानाराम पुत्र नानूराम
3/4. नन्छू पुत्र नानूराम
3/5. सीता उर्फ सुमन पुत्री नानूराम
3/6. गीता पुत्री नानूराम

4. मंगलाराम पुत्र गणेश बालिग
5. रामबाबू पुत्र घीस्या बालिग
6. रामेश्वर पुत्र घीस्या बालिग
7. सोणाराम पुत्र भूराराम मृतक दौराने दावा

7/1 सुन्दरी देवी पत्नी सोनाराम
7/2. राजू पुत्र सोणाराम
7/3. बिरदी चन्द पुत्र सोणाराम
7/4. प्रेम देवी पुत्री सोणाराम

8. भैरूराम पुत्र कुशलाराम मृतक दौराने दावा

8/1 भैरूराम की पत्नी लक्ष्मा देवी
8/2. राजकुमार पुत्र भैरूराम
8/3. शैतान पुत्र भैरूराम
8/4. दिनेश पुत्र भैरूराम
8/5. कमली पुत्री भैरूराम
8/6. मुन्ना पुत्री भैरूराम

9. जगदीश पुत्र कुशलाराम बालिग
10. सूजाराम पुत्र झूथाराम मृतक दौराने दावा

10/1 ज्याना देवी पत्नी सूजाराम
10/2. शिम्भू दयाल पुत्र सूजाराम
10/3. मीरा पुत्री सूजाराम
10/4. मखनी पुत्री सूजाराम

11. नारायण पुत्र झूथाराम बालिग
12. लालाराम पुत्र झूथाराम बालिग

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

13. गोपाल पुत्र झूथाराम बालिग
14. श्रीमती नानची देवी पत्नी लादूराम
15. श्रीमती नाथी देवी पत्नी लादूराम
16. ताराचन्द पुत्र लादूराम बालिग
17. ममता पुत्री लादूराम उम्र करीब 14 साल नाबालिग जरिये कुदरती वली श्रीमति नान्छी देवी पत्नि लादूराम जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
18. जयपुर नागोर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर
19. राजस्थान सरकार, तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय, आमेर जिला, जयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 27.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगणं व प्रतिवादीगण ग्राम राजावास तहसील आमेर पटवार हल्का खोरा बीसल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा जिला जयपुर में स्थित शामलाती सहखातेदारी की आराजी खतोनी संख्या 153 में अकित खसरा नम्बर 75 रकबा 0.79 हेक्टे, खारा नम्बर 76 रकबा 0.30 है., 78 रकबा 0. 19 हेक्टे, 80 रकबा 0. 30 टेस्ट, 8 रकबा 0. 33 हेक्ट, 82 रकबा 0. 33 हेक्ट, 83 रकबा 0.85 हेक्ट, 84 रकबा 0.87 हेक्ट 86 रकबा 0. 37 हेक्ट, 87 रकबा 0. 33 हेक्ट, 88 रकबा 0. 50 हेक्ट 89 रकबा 0.51 हेक्ट, 91 रकबा 10. 62 हेक्टे, 92 रकबा 0. 39 हेक्ट, 161 रकबा 0.07 हेक्टेयर कुल किता 16 रकबा 7.05 हेक्टेयर खातेदारी की आराजीयात में वादीगण का हक व हिस्सा 11/48 में 1/2 हक व हिस्सा होकर मनबट के अनुसार कब्जा है। एवं प्रतिवादी सँख्या 1 लगायत 17 भी उक्त आराजीयात के सहखातिदार काश्तकार होकर मनबट के अनुसार काश्त कर रहे है। उपरोक्त वर्णित आरजीयात में अपने हक व हिस्से के अनुसार वादीगण अपने हक व हिस्से का लगान प्रतिवादी संख्या 19 को जमा करवात चले आ रहे है। एवं उक्त आराजीयात में वादीगण का अविभाजित हक व हिस्सा 11/48 अति 1.62 हेक्टेयर आराजी में 1/2 हक व हिस्सा वादीगण का व 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है। वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर मनबट के अनुसार काबिज है। तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का आज तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण के कब्जे व हिस्से की भूमि मनबट के अनुसार मुख्य सड़क से लगती है। जिस पर वादीगण ने अपने हक व हिस्से की भूमि पर पेड़ पौधे व डोल लगा रखे है, प्रतिवादीगण के कब्जे में सड़क सीमा से लगवा होने व पेड पौधे लगे होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 वादीगण के हक व हिस्से की भूमि पर आधिकृत कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। इस वजह से वादीगण का संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण के शामिल में काश्त करना व अपने हक व हिस्से का विकास करना नामुमकिन हो गया है। राजरथान काश्तकारी अधिनियम की 1955 के तहत प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक व हिस्से की अविभाजित भूमि का विभाजन करने व न अलग से पच खतोनी बनवाने व लगान कायम करवाने का वैधानिक अधिकार है। अतः वाद डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 18 व 19 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28.09.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने कोई जवाबदावा पेश नही किया।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम राजावास तहसील आमेर पटवार हल्का खोरा बीसल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.79 हेक्टे, खारा नम्बर 76 रकबा 0.30 है., 78 रकबा 0.19 हेक्टे, 80 रकबा 0.30 टेस्ट, 8 रकवा 0. 33 हेक्ट, 82 रकबा 0.33 हेक्ट, 83 रकबा 0.85 हेक्ट, 84 रकबा 0.87 हेक्ट 86 रकवा 0.37 हेक्ट, 87 रकबा 0.33 हेक्ट, 88 रकबा 0.50 हेक्ट 89 रकबा 0.51 हेक्ट, 91 रकबा 10.62 हेक्टे, 92 रकबा 0.39 हेक्ट, 161 रकबा 0.07 हेक्टेयर कुल किता 16 रकबा 7.05 हेक्टेयर भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक / भू0अ0 / 2025 / 2120 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भेजी गई तथा प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि केवल वादी का हिस्सा अलग किया गया है प्रतिवादीगण का नहीं। उक्त का गुणागुण के आधार पर तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग करने हेतू पुनः कुर्रेजात बनाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर ने पुनः क्रमांक / भू0अ0 / 2025 / 2832 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओ से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अपनी आपत्तियों में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Natural Justice) के विपरीत है। उनका कथन है कि रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई, जो कि 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (Audi Alteram Partem) के सिद्धांत का उल्लंघन है । आपत्तिकर्ताओं का यह भी तर्क है कि रिपोर्ट धरातलीय वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि वे खसरा संख्या 76 (0.30 हेक्टेयर) व खसरा संख्या 80 (0.30 हेक्टेयर) पर काबिज है लेकिन रिपोर्ट में इसका सही अंकन नहीं है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने खसरा संख्या 161 के आवंटन पर भी प्रश्न उठाया है, जिसे वे वादीगण के कब्जे में बताते हैं, परन्तु रिपोर्ट में उसे अन्य प्रतिवादियों को आवंटित दर्शाया गया है । अंत में, उन्होंने रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर न होने का हवाला देते हुए इसे मिलीभगत का परिणाम बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने उक्त आपत्तियों का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए इनका प्रबल विरोध किया है। वादीगण का तर्क है कि तहसीलदार महोदय एक लोक सेवक (Public Servant) हैं और उन्होंने धारा 18 व 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत तथा ''मीट्स एण्ड बाउन्डस'' (Metes and Bounds) के आधार पर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की है । वादीगण का कहना है कि प्रारंभिक डिक्री (Preliminary Decree) के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है और अब अंतिम डिक्री के चरण में विभाजन के तरीके पर आपत्ति केवल विलंब करने की मंशा से प्रेरित है । वादीगण के अनुसार, तहसीलदार ने मौका मुआयना कर, लाभ—हानि को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाई है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया गया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की आपत्तियों का बिंदुवार विश्लेषण निम्न प्रकार किया जाता है:

1. आपत्तिकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई। राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/पटवारी) द्वारा की गई कार्यवाही शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में मानी जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (म) के तहत यह उपधारणा है कि शासकीय कृत्य सही रूप में सम्पादित किए गए हैं। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मौके की स्थिति और काश्त का विवरण दिया है। तथा रिपोर्ट एवं नक्शे में तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है।
2. विभाजन के बाद (Partition Suit) में, न्यायालय का मुख्य उद्देश्य सभी खातेदारों को उनके विधिक हिस्से के अनुसार भूमि आवंटित करना होता है, न कि केवल वर्तमान कब्जे को यथावत रखना। यदि वर्तमान कब्जा किसी खातेदार के हिस्से से अधिक है या भूमि की कीमती/उपजाऊ प्रकृति के कारण असंतुलन पैदा करता है, तो उसे बदला जा सकता है। आपत्तिकर्ता खसरा सं. 76 व 80 पर अपना कब्जा बताते हैं , परन्तु विभाजन में संपूर्ण खाते (7.05 हेक्टेयर) का समायोजन आवश्यक है ताकि सभी पक्षों को समान मूल्य की भूमि मिल सके। तहसीलदार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में सभी पक्षों के हितों और भूमि की गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है ।
3. आपत्तिकर्ताओं ने खसरा संख्या 161 के आवंटन को त्रुटिपूर्ण बताया है । न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिकी [illegible] विभाजन का उद्देश्य भूमि का न्यायसंगत वितरण है। वादीगण के जवाब [illegible] रिपोर्ट निष्पक्ष जांच के बाद बनाई गई है और प्रारंभिक [illegible] पालन में
4. इसके अतिरिक्त प्रारंभिक [illegible] के आधार पर ही यह कुर्रेजात कार्यवाही की गई है। प्रतिवादीगण ने प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे अपने हिस्सों से संतुष्ट थे। पूर्व में भी प्रतिवादी की आपतियां स्वीकार कर पुनः कुर्रेजात मंगवाई गई है। अब पुनः कुर्रेजात के स्तर पर तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश करना या प्रक्रियात्मक आपत्तियां उठाना केवल अंतिम डिक्री (Final Decree) पारित होने में विलंब कारित करने का प्रयास है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 विधिक प्रावधानों के अनुरूप, निष्पक्ष और न्यायसंगत है। कुर्रेजता रिपोर्ट मौका मुआयना स्थानीय पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार किया गया है। नक्शे में सभी पक्षकारों या उनके वारिसो के नाम और हिस्से का स्पष्ट अंकन है। प्रस्तावित नक्शा सभी खातेदारों को सड़क/रास्ते की सुविधा समान रूप से प्रदान करता है प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां तथ्यहीन, सारहीन एवं निराधार होने के कारण खारिज की जाती हैं।

फलस्वरूप उक्त विवेचन एवं दस्तावेजो के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. अर्चना पुत्री लादू हि. 1/21, कंचन पुत्री लादू हि. 1/21, बबली पुत्री लादू हि. 1/21, ममता पुत्री लादू हि. 1/21, सोना पुत्री लादू हि. 1/21, ताराचंद पुत्र लादू हि. 1/21, नाथी पत्नी लादू हि. 1/42, जगदीश पुत्र कुशला हि. 1/3, दिनेश पुत्र भैरू हि. 1/9, रामकुवार पुत्र भैरू हि. 1/9, शैतान पुत्र भैरू हि. 1/9 के हिस्से खसरा नंबर 76 रकबा 0.3 है., 80 रकबा 0.30 है., 81 रकबा 0.33 है., 82 रकबा 0.33 है., 83/1 रकबा 0.82 है., 84/1 रकबा 0.27 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 है. भूमि रहेगी।
2. कमला देवी पत्नी रामजीलाल हि. 1/4, मीरा देवी पत्नी सुवालाल हि. 1/4, विमला देवी पत्नी नान्छीलाल हि. 1/4, संती देवी पत्नी जगदीश हि. 1/4 के हिस्से खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.0300 है., 88 रकबा 0.5000 है., 89 रकबा 0.5100 है., 91/1 रकबा 0.5756 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.6156 है. भूमि रहेगी।
3. ना. अनिता पुत्री मदनलाल हि. 1549/308440, ना. सुमन पुत्री मदनलाल हि. 1549/308440, कमलेश पुत्र मदनलाल 1549/308440, नारंगी पत्नी मदनलाल 1549/308440, कैलाशचंद्र पुत्र नानूराम हि. 203/30844, कानाराम पुत्र नानूराम हि. 203/30844, फूलचंद पुत्र नानूराम हि. 203/30844, सुमन पुत्री नानूराम हि. 203/30844, गीता देवी पत्नी नानूराम हि. 203/30844, सरजू देवी पत्नी नानूराम हि. 203/30844, शिम्भुदयाल पुत्र सुजाराम हि. 5875/30844, गोपाल पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, नारायण पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, लालाराम पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, राजू पुत्र सोणा हि. 8159/[illegible], बिरदीचंद पुत्र सोणा हि. 8159/308440, प्रेमदेवी पुत्र सोणा हि. 8159/30[illegible], बाबू पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, रामू पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, [illegible] पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, मंगलाराम पुत्र गणेश हि. 1223/308[illegible] के हिस्से खसरा नंबर 161 रकबा 0.0700 है., 75 रकबा 0.7900 है., 77 रकबा 0.3000 है., 78 रकबा 0.1900 है., 84/2 रकबा 0.6000 है., 86 रकबा 0.3700 है., 87 रकबा 0.3300 है., 91/2 रकबा 0.0444 है., 92 रकबा 0.3900 है. कुल किता 9 कुल रकबा 3.0844 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

प्रकरण संख्या – 96/2011
वउनवानी – मीरा देवी बनाम विमला देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 27.01.2026

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 96/2011 — वाद प्रस्तुति दिनांक : 13.06.2011

1. श्रीमति मीरादेवी पत्नि सुवालाल उम्र करीब 52ाल जाति जाट
2. श्रीमति सन्ती देवी पत्नि जगदीश उम्र करीब 50ाल जाति जाट निवासीगण ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर

........वादीगण

बनाम

1. श्रीमति बिमला देवी पत्नि नानछीलाल उम्र करीब 48 साल
2. श्रीमति कमला देवी पत्नि रामजीलाल उम्र करीब 45 साल
3. नानूराम पुत्र गणेश मृतक दौराने दावा

3/1 नानूराम की पत्नी सूजादेवी
3/2 फूलचंद, नानूराम का पुत्र
3/3. कानाराम पुत्र नानूराम
3/4. नन्छू पुत्र नानूराम
3/5. सीता पुत्री नानूराम
3/6. गीता पुत्री नानूराम
4. मंगलारामपुत्र गणेश बालिग
5. रामबाबू पुत्र घीस्या बालिग
6. रामेश्वर पुत्र घीस्या बालिग
7. सोणाराम पुत्र भूराराम मृतक दौराने दावा

7/1 सुन्दरी देवी पत्नी सोनाराम
7/2. राजू पुत्र सोणाराम
7/3. बिरदी चन्द पुत्र सोणाराम
7/4. प्रेम देवी पुत्री सोणाराम
8. भैरूराम पुत्र कुशलाराम मृतक दौराने दावा

8/1 भैरूराम की पत्नी लक्ष्मा देवी
8/2. राजकुमार पुत्र भैरूराम
8/3. शैतान पुत्र भैरूराम
8/4. दिनेश पुत्र भैरूराम
8/5. कमली पुत्री भैरूराम
8/6. मुन्ना पुत्री भैरूराम
9. जगदीश पुत्र कुशलाराम बालिग
10. सूजाराम पुत्र झूथाराम मृतक दौराने दावा

10/1 ज्याना देवी पत्नी सूजाराम
10/2. शिम्भू दयाल पुत्र सूजाराम
10/3. मीरा पुत्री सूजाराम
10/4. मखनी पुत्री सूजाराम
11. नारायण पुत्र झूथाराम बालिग
12. लालाराम पुत्र झूथाराम बालिग
13. गोपाल पुत्र झूथाराम बालिग

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

14. श्रीमती नानची देवी पत्नी लादूराम
15. श्रीमती नाथी देवी पत्नी लादूराम
16. ताराचन्द पुत्र लादूराम बालिग
17. ममता पुत्री लादूराम उम्र करीब 14 साल नाबालिग जरिये कुदरती वली श्रीमति नान्छी देवी पत्नि लादूराम जाति समस्त जाट. निवासीगण ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
18. जयपुर नागोर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर
19. राजस्थान सरकार, तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय, आमेर जिला, जयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. अर्चना पुत्री लादू हि. 1/21, कंचन पुत्री लादू हि. 1/21, बबली पुत्री लादू हि. 1/21, ममता पुत्री लादू हि. 1/21, सोना पुत्री लादू हि. 1/21, ताराचंद पुत्र लादू हि. 1/21, नाथी पत्नी लादू हि. 1/42, जगदीश पुत्र कुशला हि. 1/3, दिनेश पुत्र भैरू हि. 1/9, रामकुवार पुत्र भैरू हि. 1/9, शैतान पुत्र भैरू हि. 1/9 के हिस्से खसरा नंबर 76 रकबा 0.3 है., 80 रकबा 0.30 है., 81 रकबा 0.33 है., 82 रकबा 0.33 है., 83/1 रकबा 0.82 है., 84/1 रकबा 0.27 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 है. भूमि रहेगी।
2. कमला देवी पत्नी रामजीलाल हि. 1/4, मीरा देवी पत्नी सुवालाल हि. 1/4, विमला देवी पत्नी नान्छीलाल हि. 1/4, संती देवी पत्नी जगदीश हि. 1/4 के हिस्से खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.0300 है., 88 रकबा 0.5000 है., 89 रकबा 0.5100 है., 91/1 रकबा 0. 5756 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.6156 है. भूमि रहेगी।
3. ना. अनिता पुत्री मदनलाल हि. 1549/308440, ना. सुमन पुत्री मदनलाल हि. 1549/308440, कमलेश पुत्र मदनलाल 1549/308440, नारंगी पत्नी मदनलाल 1549/308440, कैलाशचंद्र पुत्र नानूराम हि. 203/30844, कानाराम पुत्र नानूराम हि. 203/30844, फूलचंद पुत्र नानूराम हि. 203/30844, सुमन पुत्री नानूराम हि. 203/30844, गीता देवी पत्नी नानूराम हि. 203/30844, सरजू देवी पत्नी नानूराम हि. 203/30844, शिम्भुदयाल पुत्र सुजाराम हि. 5875/30844, गोपाल पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, नारायण पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, लालाराम पुत्र झूंथाराम हि. 5875/30844, राजू पुत्र सोणा हि. 8159/308440, बिरदीचंद पुत्र सोणा हि. 8159/308440, प्रेमदेवी पुत्र सोणा हि. 8159/[illegible] बाबू पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, रामू पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, [illegible] पुत्र घीसाराम हि. 6119/308440, मंगलाराम पुत्र गणेश हि. [illegible]/30844 के हिस्से खसरा नंबर 161 रकबा 0.0700 है., 75 रकबा 0.7900 है., 77 रकबा 0.3000 है., 78 रकबा 0.1900 है., 84/2 रकबा 0.6000 है., 86 रकबा 0.3700 है., 87 रकबा 0.3300 है., 91/2 रकबा 0.0444 है., 92 रकबा 0.3900 है. कुल किता 9 कुल रकबा 3.0844 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:46 IST
Reason: SelfAttested